National Journal of Research and Innovative Practices (NJRIP)
Vol-10 | Issue-02, 2025 | ISSN: 2456-1355 | http://www.edusanchar.com

NEP 2020 और अधिगम अक्षमता: समायोजन और कक्षा प्रबंधन

Vijendra Singh Naruka
Asst. Professor
LBS College, Kota Rajasthan

Shushil Kumar Poonia
Asst. Professor
Sai College of Special Education & Research, Jhalawar, Rajasthan

परिचय

भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार लिए गए। इसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया। जन आकांक्षाओं के अनुरूप एवं राष्ट्रीय आवश्यकता और चुनौतियों के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा''यह शिक्षा के क्षेत्रा में बहुप्रतीक्षित सुधार है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा।

शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएँ निहित होती हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत बोध और चेतना का विकास करना है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को महत्त्व, पाठ्यक्रम को और अधिक गुणवत्तायुक्त, लचीला/एकीकृत और मूल्यांकन परक करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी, देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेती है और शिक्षा के सभी स्तरों—प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक—में परिवर्तनकारी बदलावों का प्रस्ताव करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **शिक्षा का नया संरचना (5+3+3+4):**

2. **शैक्षिक संरचना में परिवर्तन:** मौजूदा 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 मॉडल से बदल दिया गया है, जो बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार विभाजित है:

    - **फाउंडेशनल स्टेज (3-8 वर्ष):** प्री-प्राइमरी और कक्षा 1-2
    - **प्रिपरेटरी स्टेज (8-11 वर्ष):** कक्षा 3-5
    - **मिडिल स्टेज (11-14 वर्ष):** कक्षा 6-8
    - **सेकेंडरी स्टेज (14-18 वर्ष):** कक्षा 9-12

NEP 2020 में स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के ढांचे में विभाजित किया गया है, जिसमें 3-8 वर्ष (फाउंडेशनल स्टेज), 8-11 वर्ष (प्रिपरेटरी स्टेज), 11-14 वर्ष (मिडल स्टेज), और 14-18 वर्ष (सेकेंडरी स्टेज) शामिल हैं।

3. **मातृभाषा में शिक्षा:** कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

4. **उच्च शिक्षा में सुधार:** उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग' (HECI) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो विभिन्न कार्यों के लिए चार स्वतंत्र वर्टिकल में विभाजित होगा।
5. **व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण:** सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जा सके।
6. **शिक्षा पर व्यय:** शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में लगभग 4.43% है।
7. **डिजिटल शिक्षा:** डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम' (NETF) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
8. **शिक्षक प्रशिक्षण:** शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके पेशेवर विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों से सुसज्जित हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें अधिगम अक्षमता (लर्निंग डिसएबिलिटी) वाले बच्चे भी शामिल हैं। नीति में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की आवश्यकता भारत की शिक्षा प्रणाली में समय के साथ उत्पन्न हुई चुनौतियों और आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता:** मौजूदा शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी थी, जिसे दूर करने के लिए नई नीति की आवश्यकता महसूस की गई।
2. **वैश्विक मानकों के साथ तालमेल:** बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक था।
3. **शिक्षा में असमानताओं को दूर करना:** विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए नई नीति की आवश्यकता थी।
4. **नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना:** शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
5. **मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान:** नीति में पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है, जिससे छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि हो।

अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए समायोजन:

1. **व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ (Individualized Education Plans - IEPs):** प्रत्येक छात्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ तैयार की जाएंगी, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित किया जा सके।
2. **सहायक तकनीक का उपयोग:** शिक्षा में सहायक तकनीकों, जैसे स्क्रीन रीडर, स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, आदि का उपयोग बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि अधिगम अक्षमता वाले छात्र सामग्री को आसानी से समझ सकें।
3. **मूल्यांकन में लचीलापन:** परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में लचीलापन प्रदान किया जाएगा, जैसे अतिरिक्त समय, वैकल्पिक प्रश्न प्रारूप, या मौखिक परीक्षाएँ, ताकि छात्र अपनी क्षमताओं का सही प्रदर्शन कर सकें।

NEP 2020 के तहत, इन समायोजनों और कक्षा प्रबंधन के तरीकों का उद्देश्य अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक समावेशी और सहायक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच सकें।

NEP 2020 के प्रमुख बिंदु

- **समावेशी शिक्षा:** NEP 2020 सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करने पर जोर देता है, चाहे वे किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त हों।
- **व्यक्तिगत ध्यान:** प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाने की वकालत की गई है।
- **शिक्षकों का प्रशिक्षण:** शिक्षकों को अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **सहायक तकनीक:** अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए सहायक तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है।
- **लचीला पाठ्यक्रम:** पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाया गया है ताकि यह सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा कर सके।

अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए समायोजन

अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक समायोजन उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, ताकि वे सीखने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। इन समायोजनों का उद्देश्य एक समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है।

- शिक्षण दृष्टिकोण में समायोजन:
- सूचना को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करना।
- मौखिक निर्देशों के साथ-साथ लिखित निर्देश प्रदान करना।
- गतिविधियों की जटिलता या मात्रा को संशोधित करना।
- कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना।
- शिक्षा सहायक अधिकारी की सहायता प्रदान करना।
- पहुंच आवश्यकताओं को पूरा करना:
- बड़े प्रिंट में सामग्री उपलब्ध कराना।
- सहायक बैठने की व्यवस्था करना।

- कक्षाओं, शौचालयों और खेल उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- पेंसिल ग्रिप या झुके हुए बोर्ड जैसी सहायक उपकरण प्रदान करना।
- आत्म-नियमन का समर्थन:
- आंदोलन विराम की अनुमति देना।
- शांत स्थान उपलब्ध कराना।
- दृश्य समय सारिणी प्रदान करना
- शोर कम करने के लिए हेडफ़ोन की पेशकश करना।
- मूल्यांकन कार्यों में समायोजन:
- सहायक तकनीक, जैसे लैपटॉप, का उपयोग करने की अनुमति देना।
- मौखिक प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान का परीक्षण करना।
- असाइनमेंट या परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना।
- आराम के ब्रेक और शांत परीक्षा कक्ष उपलब्ध कराना।

इन समायोजनों के माध्यम से, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है और वे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकते हैं।

NEP 2020 के तहत अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रकार के समायोजन किए जा सकते हैं:

- **पाठ्यक्रम में संशोधन:** पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित किया जा सकता है कि यह अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की समझ के स्तर के अनुकूल हो।
- **अतिरिक्त समय:** अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को परीक्षाओं में अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
- **विशिष्ट शिक्षण सामग्री:** अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
- **सहायक तकनीक:** कंप्यूटर, स्पेच रिकॉर्डर और अन्य सहायक तकनीकों का उपयोग करके अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है।
- **व्यक्तिगत शिक्षण योजना:** प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई जा सकती है जिसमें उसकी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखा जाए।

कक्षा प्रबंधन के तरीके:

अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के साथ प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

- **सकारात्मक वातावरण:** कक्षा में एक सकारात्मक और समावेशी वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- **सहयोग:** छात्रों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विविध शिक्षण विधियां:** विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करके बच्चों की रुचि और ध्यान बनाए रखा जा सकता है।
- **नियमित मूल्यांकन:** बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि आवश्यक बदलाव किए जा सकें।
- **शिक्षकों का सहयोग:** शिक्षकों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि वे अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की बेहतर मदद कर सकें।
- **समावेशी कक्षा वातावरण:** कक्षाओं में समावेशी वातावरण बनाया जाएगा, जहाँ सभी छात्रों को समान अवसर मिलें और वे एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकें।
- **शिक्षकों का प्रशिक्षण:** शिक्षकों को अधिगम अक्षमता की पहचान, समझ और प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ अपना सकें।
- **सहायक संसाधनों की उपलब्धता:** कक्षाओं में सहायक शिक्षण सामग्री, जैसे ऑडियो-विज़ुअल सामग्री, ग्राफिक्स, और हैंड्स-ऑन एक्टिविटीज़ का उपयोग किया जाएगा, जिससे विभिन्न सीखने की शैलियों को समर्थन मिल सके।
- **सहपाठियों के बीच सहयोग:** सहपाठियों के बीच सहयोग और समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को सामाजिक समर्थन मिले और वे सीखने में अधिक सक्षम हों।

निष्कर्ष

NEP 2020 ने अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाई है। इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त हों.

Reference

- Govt.of Rajasthan https://www.uniraj.ac.in/National%20Education%20Policy%202020.pdf
- राष्ट्रीय **शिक्षा नीति 2020** (एनईपी **2020**) www.netc.ac.in
- NEP2020https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/NEPfinal_HI_0.pdf
- मीना (प्राध्यापक), मोनिका शर्मा (विद्यार्थी) 2021 नए भारत की नींव–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020ए HANS SHODH SUDHA. Vol. 1, Issue 3, (2021), pp. 59-62